

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़
पीठासीन अधिकारी
भवानीसिंह पालावत, आर०ए०एस०

प्रकरण सं० 24/अपील/18

तारीख दायरा 15.01.18

प्रभू आ० कंवरलाल गुर्जर निवासी नाना रोज्या तहसील अकलेरा
बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अकलेरा

अपील बनाराजी आदेश तहसीलदार अकलेरा दिनांक 13.11.17 मि०न० 2499/17

उपस्थित:- श्री ~~सज्जदुल्लाह~~ अभिभाषक अपीलान्त

--: निर्णय :-

दिनांक 22.03.2018

अपीलान्त ने यह अपील जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के आदेश दिनांक 13.11.17 जिसके द्वारा अपीलान्त को ग्राम रोज्या के आराजी ख०न० 64 की 2.08 बीघा भूमि व ख०न० 1 की 2.00 बीघा भूमि कुल 4.08 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुवे उक्त आराजी भूमि से बेदखल किये जाने एवं 150/रू० जुर्माना व 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया से अप्रसन्न होकर पेश की है। अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध संग्रहसार के विपरित होने से निरस्तनीय है- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त की अनुपस्थिति में एक तरफा निर्णय पारित कर दिया गया है-प्राथी द्वारा उक्त आराजी पर से कब्जा छोड़ दिया है और पेनल्टी राशि भी जमा करा दी है। अतः अपील अपीलान्त अवधि मध्य स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। योग्य वकील अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील मेमो की पुष्टी करते हुये आगे व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर से कब्जा पूर्व में ही हटा लिया है व पेनल्टी राशि जमा राज करा दी है-भविष्य में पुन अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जावेगा दौराने बहस उनके द्वारा उक्त आराजी पर से कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र पेश करते हुए अनुरोध किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.17 निरस्त किया जाकर अपीलान्त को राहत प्रदान की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर गौर किया। वकील अपीलान्त द्वारा विवादग्रस्त आराजी से कब्जा हटाने बाबत शपथ पत्र पेश किया एवं भविष्य में अपीलान्त द्वारा पुनः कब्जा नहीं करने हेतु कहा है। अतः इसलिये हमारी राय में अपीलान्त कुछ राहत पाने का पात्र हो गया है-परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर शेष निर्णय यथावत रखा जाता है-निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे-पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ़तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 23.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानीसिंह पालावत)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़
राजस्थान (रा०)